न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या 339/2020/भीलवाड़ा

1. श्रीमती संतोष पत्नि स्व0 श्री घीसा
2. विमला पुत्री श्री घीसा
3. शिमला पुत्री श्री घीसा
4. निरमा पुत्री श्री घीसा
5. हेमराज पुत्र श्री घीसा
6. बनवारी पुत्र श्री घीसा

समस्त जाति खाती, निवासी हुकमपुरा, तहसील फूलियांकला जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांटस

बनाम

1. छीतर पुत्र श्री चौथू जाति नायक, निवासी हुकमपुरा, तहसील फूलियांकला जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार।

—रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा, दिनांक 04.11.2019 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 13/2018 अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 बउनवानी घीसालाल वगैरह बनाम छीतरलाल।

———————————————————

उपस्थित अभि0:— श्री ए0एस0राठौड़ (अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः— श्री एम0एल0गुर्जर
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

निर्णय **दिनांकः—29.03.2023**

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि छित्तर पिता चौथू नायक को ग्राम हुकमपुरा वर्तमान तहसील फूलियांकला जिला भीलवाड़ा को आराजी नम्बर 1205/1988 रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। वर्तमान अपीलांट 2 से 6 के पिता एवं 1 के पति घीसालाल तथा वर्तमान अपीलांट नम्बर 7 सत्यनारायण पिता गोकुल खाती के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 13/2018 अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के तहत दर्ज करवाया गया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 04.11.2019 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है—

1. रेस्पोडेंट द्वारा कभी भी काश्त नहं की गई है। इस वजह से ही वह आज दिनांक तक वह गैर खातेदार के रूप में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

2. रेस्पोडेंट बोनाफाइड कृषक नहीं है।

3. अपीलांट खसरा नम्बर 1204 से होकर रेस्पोडेंट को आवंटित होकर खसरा नम्बर 1205/1988 से होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1205 पर आते है।

4. रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विवादित भूमि का गुपचुप रूप से आवंटन करवा लिया है। जबकि कदीमी रूप से रास्ते के उपयोग में लिए जा रही भूमि आवंटन योग्य नहीं थी।

5. भूमि आवंटन बाबत उद्घोषणा जारी नहीं की गई तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 विवादित भूमि पर कभी काबिजकाश्त नहीं रहा है।

6. अनुसूचित जाति का कोई सदस्य आवंटन समिति में मौजूद नही था।

7. अपीलांट के कब्जे बाबत अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र बद्री पुत्र गोकुल कुमावत , सुखदेव पुत्र बालू जाट रतन पुत्र रामकिशन जाट हंसराज पुत्र भैरू जाट , भागचन्द पुत्र मिश्रीलाल खाती, भैरू पुत्र नारायण जाट, रघुवीर पुत्र सुखा जी वैष्णव, सत्यनारायण पुत्र गोकुल खाती, घीसालाल पुत्र गोकुल खाती द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के विरूद्ध कोई काउण्टर शपथ पत्र न होते हुए भी उक्त शपथ पत्रों को नही मानकर गलत निर्णय दिया है। अंत में निवेदन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2019 निरस्त करते हुए विवादित आराजीयात ग्राम हुकमपुरा तहसील फूलियांकला जिला भीलवाड़ा खसरा नम्बर 1205/1988 आवंटन आदेश दिनांक 14.02.2013 निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र और प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल प्रस्तुत किये।

धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने ये कथन किये है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके अभिभाषक शोभागमल कुमावत द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2022 की जानकारी नहीं होने दी। दिनांक 20.09.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 कुछ भूमियां लोगो को साथ लेकर जबरन अतिक्रमण बाबत जब आमादा हुआ तथा उसके द्वारा यह कहा गया कि मैं मुकदमा जीत चुका हूं और भूमि मेरी हो गई है और मैं लेकर रहूंगा। तब जानकारी हुई। दिनांक 21.09.2020 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र लगाया। नकल दिनांक 24.09.2020 को नकल प्राप्त हुई। दिनांक 21.10.2020 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर शीघ्र अपील प्रस्तुत की।

स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा बताया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 अपीलाधीन निर्णय की आड़ में अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। जिस वजह से अपीलांट अपनी कदीमी काश्तकारी या आराजीयात से महरूम हो जायेगें तथा अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियत 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल के अवलोकन को देखा गया। प्रार्थी के अनुसार आवंटन आदेश दिनांक 14.02.2013 की प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। जो शीघ्र प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने में छूट प्रदान की जायें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित हुए अपीलांट अभिभाषक ने अपील मीमों में उठाये गये बिन्दुओं को दोहराया गया। रेस्पोडेंट अभिभाषक ने आवंटन नियमानुसार बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना उचित होगा। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 27.10.2020 को दर्ज करवाया जाना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। आवंटी अनुसूचित जाति वर्ग से है तथा अपीलांट ओ0बी0सी वर्ग से है। अपीलांट द्वारा अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलांट को आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। अतः उसे प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जाती है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपने निर्णय में यह माना था कि वर्तमान अपीलांट द्वारा अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेज उस समय प्रस्तुत नही किये थे तथा काश्त बाबत कोई खसरा गिरदावरी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। जिससे आवंटी बाबत काश्त नहीं करने बाबत पुष्टि होती हों। साथ ही यह भी माना कि अपीलांट द्वारा आवंटी के पास आवंटी के भूमिहीन काश्तकार नहीं होने बाबत कोई दस्तावेज भी उस समय प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा आवंटी को गैर खातेदार दर्ज होने के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) निरस्त किया गया था।

अपीलांट द्वारा उद्घोषणा न होने बाबत आक्षेप उठाया गया है। जबकि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पटवारी रिपोर्ट में बिन्दु नम्बर 4 पर यह अंकित है कि उक्त आराजी नम्बर 1205/1988 उदघोषित होकर सूची के क्रम संख्या 83 पर दर्ज है। अंत में पटवारी के हस्ताक्षर अंकित है। साथ ही उक्त आवंटन बाबत सिफारिस सरपंच , प्रधान, विधायक, तहसीलदार, विकास अधिकारी द्वारा की गई है तथा अंत में उपखण्ड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। अपीलांट का यह कहना है कि सहवृत सदस्यों के रूप मे अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति नही था। फिर भी आवंटन किया गया है। जो उचित नहीं है। सहवृत सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते है और आवंटन बहुमत के आधार पर किया जाता है। वर्तमान प्रकरण में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा आवंटन की सिफारिस की गई है। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1204 का हवाला दिया है तथा यह कहा है कि 1204 से होकर वह अपने खातेदारी खेत 1205 तक बहुंचता है। बीच में आवंटित खसरा नम्बर 1205/1988 है तथा यह आक्षेप किया था कि कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि का आवंटन किया गया है। जबकि आवेदन पत्र में उक्त खसरा नम्बर बारानी–3 बताया गया है और रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है। जहां तक अपीलाधीन निर्णित प्रकरण में ग्रामवासीयान बद्री पुत्र गोकुल कुमावत , सुखदेव पुत्र बालू जाट रतन पुत्र रामकिशन जाट हंसराज पुत्र भैरू जाट , भागचन्द पुत्र मिश्रीलाल खाती, भैरू पुत्र नारायण जाट, रघुवीर पुत्र सुखा जी वैष्णव, सत्यनारायण पुत्र गोकुल खाती, घीसालाल पुत्र गोकुल खाती द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना निर्णय में शामिल किये निर्णय दिया गया है। बाबत आक्षेप किया गया है। उक्त शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। इन सब का यही कहना है कि विवादित भूमि पर आवंटी का कब्जा न होकर अपीलांट का कब्जा है और उनके द्वारा उड़द की फसल काश्त की हुई है। आवंटी अनुसूचित जाति से है। उसे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटित की गई थी और गैर खातेदार के रूप में उसे दर्ज किया गया है। आवंटन बाबत सार्वजनिक उद्घोषणा भी जारी की गई थी। ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

शपथ पत्र अपीलांट की मदद नही करते है। शपथ पत्र मात्र से ही कब्जा नहीं माना जा सकता है। कब्जा विधिपूर्वक होना चाहिए।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि आवंटी को नियमानुसार बाद जांच भूमि आवंटित की गई थी। इस बाबत सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गई थी। आवंटी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित काश्तकार है। आवंटित भूमि पर अपीलांट को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट द्वारा आवंटी के भूमिहीन न होने बाबत, आवंटी का कब्जाकाश्त न होने बाबत कोई दस्तावेज बहस के दौरान व अपील के दौरान नहीं प्रस्तुत किये गये। अपील दस्तावेजी सबूतों के अभाव से पीड़ित है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 13/2018 बउनवानी घीसा व अन्य बनाम छित्तर व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 निर्णय दिनांक 04.11.2019 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested